न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 75 / 2022 (अपील)

उनवान

मदनलाल अग्रवाल पुत्र श्री गुलाबचन्द्र जी अग्रवाल जाति महाजन निवासी 111–ए डकनिया स्टेशन के पास इन्द्रप्रस्थ औधोगिक क्षेत्र कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सेन (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. पेरोकार सरकार (पेरोकार सरकार)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी तहसीलदार कनवास आदेश दिनांक 4.05.2022

निर्णय दिनांक : 14.08.2024

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास के द्वारा आदेश दिनांक 4.05.2022 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर पेरोकार सरकार उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरान्त उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से व आई0एल0आर से रिपोर्ट तलब की गई। उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा पूर्ण विकय पत्र का अवलोकन किये बिना ही मात्र लिख दिया कि नाबालिग की भूमि विकय करने के संबध में सक्षम अधिकारी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

की इजाजत नहीं ली गई। इसी को आधार मानकर तहसीलदार कनवास द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खोले जाने वाला नामान्तकरण निरस्त कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र में मात्र एक सहखातेदार अंकिता ही नाबालिग वक्त रजि0 थी जिसकी वली उसकी माता द्वारा मय अपनी पुत्री को साथ लगकर उसकी वली बनकर उसके हिस्से की आराजी उसकी शादी आदि करने के लिये भूमि में उसका हिस्सा विक्रय किया है। तथा उक्त विक्रय पत्र पर स्वयं के एवम् अंकिता के हस्ताक्षर है जिनकी जानकारी अंकिता को भी है। अंकिता के अतिरिक्त अन्य सभी सहखातेदारान बालिग है जिन्होने नियमानुसार अपनी अपनी हिस्से आराजी का विक्रय किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय ने यदि अंकिता को नाबालिग माना है तो अन्य सहखातेदारान के हिस्से आराजी का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पक्ष में खोलना चाहिये था। ऐसा न करके अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र बाबत तस्दीक करने नामान्तरकरण निरस्त करने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अनुपस्थित में आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वाके ग्राम पीतामपुरा तहसील कनवास का आदेश दिनांक 04.05.2022 निरस्त किया जाकर प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान करे।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का बहस कथन है कि ग्राम पीतामपुरा पटवार मण्डल जालिमपुरा तहसील कनवास जिला कोटा में पटवारी हल्का व आई0एल0आर से रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग की भूमि का विक्रय हुआ है। जिसमें विक्रय करने के संबध में सक्षम अधिकारी की इजाजत नहीं ली गई एवं सक्षम न्यायालय का आदेश संलग्न नहीं किया है। हिन्दु अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 (2) (क) में स्पष्ट किया है कि नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना किया गया नाबालिग की भूमि का बेचान नहीं होगा।

6 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 4.05.2022 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 14.09.2022 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी 7.09.2022 को नकल प्राप्त होने पर बताया है। विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

7. हिन्दु अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम,1956 की धारा 8(2) में स्पष्ट किया है कि नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना– अप्राप्तवय की स्थावर सम्पति के किसी भी भाग को बन्धक या भारित या विक्रय, दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं करेगा। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक ने भूमि विक्रय के पूर्व न्यायालय की अनुमति ली हो।

8 अतः ग्राम पीतामपुरा पटवार मण्डल जालिमपुरा तहसील कनवास में स्थिति ख0न0 298 रकबा 0.59 है0 ख0न0 304 रकबा 1.1100 हैक्टर भूमि का तहसीलदार कनवास द्वारा ग्राम पीतामपुरा तहसील कनवास के नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 04.05.2022 मे नाबालिग की भूमि का बेचान होने के कारण खारिज किया है। तहसीलदार कनवास के निर्णय दिनांक 04.05.2022 में न्यायालय दखल करना उचित नहीं समझता है।

9 परिणामस्वरूपः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

10. निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा